सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 25, बुधवार, शाके 1944-जून 15, 2022 *Jyaistha 25, Wednesday , Saka 1944- June 15, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 8, 2022

संख्या :-यत: राज्य सरकार भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील टोडाभीम, जिला करौली के सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टोडाभीम, बाईपास रोड टोडाभीम के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्श सेवा लगभग 9.00 किमी। (परियोजना लागत 15.00 करोड़ रुपये) हेतु अधिग्रहण करने के क्रम में निम्न भूमि का अर्जन किये जाने का आशय रखती है

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं0	अवाप्त भूमि (हैक्टेयर)	भूमि का प्रकार	भूमि का स्वामित्व
1	11 विस्वा टोडाभीम	टोडाभीम	करौली	सूची संलग्न	4.1113	सिंचित	निजी
2	9 विस्वा टोडाभीम	टोडाभीम	करौली	सूची संलग्न	0.1497	सिंचित	निजी
				कुल योग	4261		

अत: राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु सलाहकार मैसर्स सानवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड एस-9, दूसरी मंजिल, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-53, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301 मोबाईल नं0 9650571423 को नियुक्त करती है ा

उक्त मैसर्स सानवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भूमि से प्रभावित गॉवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगाा सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगा:-

1. सलाहकार द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गॉवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा
5. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 8 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है

सम्पर्क सूत्र:-
मैसर्स सानवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड
एस-9, दूसरी मंजिल, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-53,
नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301
दूरभाष: +91-9650571423
ई-मेल: vpsingh1211@gmail.com

सुनील कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव(पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।